




सुरक्षा गार्ड हेतु निविदा का आमंत्रण


सहरसा जिलान्तर्गत सदर अस्पताल / अनुमण्डलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विधिवत व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सेवा निवृत्त फौजी/अर्धसैनिक बल/ प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड/ सुपरवाइजर उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक निविदादाता निविदा प्रकाशन के 21 दिनों के अंदर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से दो बजे अपराह्न तक जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। समयावधि समाप्त होने पर निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा के प्रकाशन की तिथि के 15 वें दिन (अवकाश की गणना सहित) जिला पदाधिकारी, सहरसा के कार्यालय वैश्व में प्री-बिड बैठक की जायेगी। अगर 15 वें दिन अवकाश रहेगा तो अगले कार्य दिवस को प्री-बिड बैठक की जायेगी। आपसी सहमति के आधार पर विवादों का निष्पादन किया जाएगा। यदि आपसी सहमति आधार पर निष्पादन नहीं होता है तो क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के समक्ष मामले को निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विवादों का निष्पादन व्यवहार न्यायालय, सहरसा के क्षेत्रान्तर्गत होगा।


निविदा को प्रकाशन की तिथि के 21 वें दिन (अवकाश की गणना सहित) 3.00 बजे अप० में जिला पदाधिकारी, सहरसा के कार्यालय वैश्व में तकनीकी निविदा खोली जाएगी। अगर 21 वें दिन अवकाश रहेगा तो अगले कार्य दिवस को तकनीकी निविदा खोला जाएगा। निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में सील कर किस कार्य के लिए निविदा दिया जा रहा है अंकित होना चाहिए। निविदा कम्प्यूटराईज्ड होना अनिवार्य है। हस्तलिखित निविदा रद्द कर दिया जायेगा।

निविदा की विस्तृत जानकारी www.saharsa.nic.in के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।


20.06.19
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति सहरसा


उपविकास आयुक्त सह-उपाध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति सहरसा



जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा

सुरक्षा गार्ड हेतु तकनीकी निविदा शर्त

1. बिहार सरकार के द्वारा निबंधित कम्पनी/प्रतिष्ठान/एन0जी0ओ0/एजेन्सी निविदा दे सकते हैं।
2. बिहार सरकार गृह विभाग बिहार द्वारा सुरक्षा एजेन्सी निबंधित अधिनियम 2005 के अंतर्गत निबंधित होना आवश्यक है। जिसकी छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र के स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति एवं संस्थान में कार्यरत कर्मी/पदाधिकारी का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अंशदान का प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति अनुलग्नक करना होगा।
4. कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र का स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य है।
5. निविदादाता के पास कम से कम 100 सुरक्षाकर्मी/पर्यवेक्षक का ई0 एस0 आई0 एवं ई0 पी0 एफ0 में निबंधन होना चाहिए।
6. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए।
8. सरकार द्वारा निर्गत जीएसटी निबंधन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा दाता को एजेन्सी/प्रतिष्ठान के नाम से पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. अग्र धनराशि 50,000/- पचास हजार रुपये मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो कि जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा के नाम से भुगतये हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. संस्था का ISO/OHSAS सर्टिफिकेट अनुलग्नक करना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता संबंधित कार्य का अन्य बड़े अस्पतालों/अर्द्धसरकारी संस्थानों /निगमों कार्यालयों इत्यादियों में सफलतापूर्वक कार्य संपादित करने का कम से कम 15 वर्षों का अनुभव संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. काली सूची दर्ज नहीं होने का एवं किसी न्यायालय में किसी प्रकार का मामला लंबित न हो या दंडित न हुए हों, संबंधित शपथ-पत्र जो प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत हो की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. संबंधित एजेन्सी का अपना चरित्र प्रमाण-पत्र जो कि संबंधित निविदादाता के गृह जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ उक्त प्रमाण-पत्र निविदा प्रकाशन के तिथि से 06 महिने के अधिक अवधि/तिथि का निर्गत मान्य नहीं होगा।
15. निविदा दाता को अपने बैंकर्स के माध्यम से निर्गत एक करोड़ रुपये का Solvency Certificate संलग्न करना होगा जो कि छः महिने से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

सुरक्षा गार्ड हेतु वित्तीय निविदा

भूतपूर्व सेवा निवृत्त फौजी/अर्धसैनिक बल हेतु वित्तीय निविदा के लिए प्रस्तावित वर्तमान दर डी0जी0आर0 न्यू दिल्ली के अनुसार संलग्न करना होगा। प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड (आर्म्स रहित), प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड (आर्म्स सहित) एवं प्रशिक्षित सुपरवाइजर के लिए बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान न्यूनतम दर के साथ ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, यूनिफॉर्म, एच0आर0ए0, जीएसटी शुल्क एवं सेवा शुल्क 10 प्रतिशत के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।






बिहार सरकार





भू0पूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड का प्रकार	निर्धारित दर सभी शुल्क के साथ प्रतिमाह रूपया
सेवा निवृत्त फौजी/अर्द्धसैनिक गार्ड (आर्म्स सहित)	
सेवा निवृत्त फौजी/अर्द्धसैनिक गार्ड (आर्म्स रहित)	
सेवा निवृत्त फौजी/अर्द्धसैनिक गार्ड प्रशिक्षित सुपरवाईजर	
प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड (आर्म्स सहित)	
प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड (आर्म्स रहित)	
प्रशिक्षित सुपरवाईजर	

शर्तें:-

- सफल निविदादाता एजेन्सी/संस्थान से भू0पूर्व सैनिक, प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड एवं प्रशिक्षित सुपरवाईजर की सेवा ली जायेगी तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड की संख्या में कटौती/वृद्धि करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति का निर्णय मान्य होगा।
- सफल निविदादाता एजेन्सी/संस्थान को कम से कम 30 प्रतिशत महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना होगा।
- सुरक्षा गार्ड की उम्र सीमा- 35 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होना आवश्यक है उनसे तीन पालियों में कम से कम कार्य लिया जायेगा और आवश्यकतानुसार अधिक भी लिया जा सकता है।
- सभी सुरक्षा सेवाओं के लिए चयनित एजेन्सी से एकरारनामा तीन वर्षों के लिए किया जाएगा किन्तु उनके कार्य गुणवत्ता/मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवर्ष अनुबंध विस्तार किया जायेगा या अधिक समय के लिए भी जिला स्वास्थ्य समिति निर्णय ले सकती है।
- स्पष्ट टंकित तथा मुहरबंद निविदा ही स्वीकार किया जायेगा। साथ ही प्रस्तावित वर्तमान दर से कम होने पर वित्तीय निविदा को रद्द किया जा सकता है।
- चयनित एजेन्सी को सभी सुरक्षा गार्ड कर्मियों के पहचान पत्र एवं सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी सामान तथा पोशाक उपलब्ध कराना होगा।
- तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
- जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा को यह अधिकार सुरक्षित है कि निविदा को आंशिक या पूर्णतः किसी भी स्थिति में स्वीकार अथवा निरस्त किया जा सकता है।
- सुरक्षा गार्ड द्वारा 24x7 के साथ-साथ ओपीडी कक्ष, प्रसव कक्ष, सभी वार्ड, चिकित्सकों/कर्मियों की सुरक्षा तथा पूरे परिसर भवन, उपकरण के सुरक्षा की जिम्मेवारी होगी। अस्पताल परिसर के अन्दर सभी सुरक्षा कार्य के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सुरक्षा निर्देश का पालन अनिवार्य होगा।
- जी0एस0टी0 नम्बर एवं जी0एस0टी0 का रिटर्न फाईल अद्यतन होना चाहिए एवं जीएसटी का रिटर्न फाईल का चलान अद्यतन माह तक अनुलग्नक किया जाना अनिवार्य है।
- कंपनी रहने पर आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन एवं मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन, पार्टनरशिप फर्म की दशा में निबंधित पार्टनरशिप डीड/रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज तथा एन0जी0ओ0 होने की दशा में उपविधि की कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।


सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति सहरसा


उपविभागाध्यक्ष सह-उपाध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति सहरसा


जिला प्राधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा



DISTRICT HEALTH SOCIETY, SAHARSA

जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा

सदर अस्पताल परिसर, सहरसा (पश्चिमी भाग)

दूरभाष सं० :- 06478-222078, E-mail- dhssaharsa2017@gmail.com



पत्रांक 953 /

प्रेषक,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

सहरसा, दिनांक 25/06/2019

विषय :- सहरसा जिलान्तर्गत सदर अस्पताल / अनुमण्डलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विधिवत व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सेवा निवृत्त फौजी/अर्धसैनिक बल/ प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड/ सुपरवाईजर की सेवा लेने हेतु निविदा का विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है, कि सहरसा जिलान्तर्गत सदर अस्पताल / अनुमण्डलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विधिवत व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सेवा निवृत्त फौजी/अर्धसैनिक बल/ प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड/ सुपरवाईजर की सेवा लेने हेतु विज्ञापन प्रकाशन किया जाना है, जिससे संबंधित विज्ञापन की छः प्रति एवं सीडी0 इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है, कि दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की कृपा करेंगे।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

Ruisher
25.6.2019

जिला कार्यक्रम प्रबंधक
जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा।

विश्वासभाजन

Kant
25.06.19

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, सहरसा।